वित्त विधेयक, 2026 आयकर अधिनियम, 2025 में एक नयी धारा 354A को जोड़ने का प्रस्ताव करता है। इसमें यह प्रावधान है कि धारा 352 के अंतर्गत संचित-आय पर कर तब लागू नहीं होगा जब कोई पंजीकृत संस्था, तय शर्तों के अंतर्गत, उसी से मिलते-जूलते उद्देश्य वाले किसी दूसरे पंजीकृत संस्था के साथ विलय करता है। यही शर्त इस प्रावधान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AC के साथ जोड़ता है और संस्थाओं के वास्तविक विलय में मुकदमेबाजी के खतरे को कम करता है।

इसके साथ ही, कर-वर्ष 2026-27 से लागू धारा 352 (क्रमांक 8) के अंतर्गत तालिका में स्पष्टीकरण दिया गया है, ताकि संचित कर कब लागू होता है, इस बारे में पहले की उलझन को दूर किया जा सके।

अब, संचित कर तभी लागू होगा जब किसी पंजीकृत संस्था का इनमें से किसी के साथ विलय होता है:

- एक ऐसी इकाई जो एक पंजीकृत संस्था नहीं है, या
- एक पंजीकृत संस्था जिसके उद्देश्य मिलते-जूलते हैं, लेकिन तय शर्तें पूरी नहीं होती हैं, या
- एक पंजीकृत संस्था जिसके उद्देश्य अलग हैं।

क्या आप जानते हैं ?

वित्त विधेयक, 2026 आयकर अधिनियम, 2025 में धारा 354A को जोड़ने का प्रस्ताव करता है , जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि संस्थाओं के विलय के मामले में धारा 352 के अंतर्गत संचित-आय पर कर कब लगेगा।

Released on 30th March, 2026

fmsf